LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
Bulletin Part-I
(Brief summary of proceedings)
Monday, 30 November, 2015/ 09 Margshirsha, 1937 (Saka)

No. 21

2.01 P.M. Sh. Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in-Chair

1. 2.02 P.M. **Sh. Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition** sought to know about the fate of the Notice of Calling Attention given by him under Rule-54.

   The Chair stated that a notice of calling attention had been received from Sh. Vijender Gupta regarding non-issuance of guidelines pertaining to the admissions in nursery classes of private educational institutions.

   The Chair ruled that three Bills pertaining to the Education Department were to be considered in the House and the matter could be taken up during the discussion on those Bills and moreover, there was also provision under Rule-280 for raising such issues in the House.

   The Chair disallowed the notice.

2. 2.04 P.M. Ms. Alka Lamba, Member of Ruling Party displayed a news item in her mobile in which Sh. Om Prakash Sharma, Member of BJP had allegedly made some derogatory remarks against her.

   She demanded that the meetings of the Ethics Committee should be held on daily basis and its reports should be submitted at the earliest.

   She came into the well of the House alongwith Ms. Pramila Tokas and Ms. Sarita Singh.

   Ms. Bandana Kumari, Hon'ble Dy. Speaker also supported the statement of Ms. Alka Lamba.

   The Chair stated that the matter was of serious nature and informed that the first meeting of the Ethics Committee had been held on 27.11.2015 and the next meeting has been scheduled for the evening today.

   Sh. Vijender Gupta and Sh. Jagdish Pradhan also stood and objected the allegations of Ms. Alka Lamba.

   Sh. Vijender Gupta stated that the allegations made by Ms. Alka Lamba were baseless and she was misleading the House.

   Ms. Alka Lamba, Ms. Pramila Tokas and Ms. Sarita Singh came near the Chair of the Speaker and started exchanging arguments with Hon'ble Speaker and Leader of Opposition.

3. 2.13 P.M. Sh. Vijender Gupta stated that the incident of 24.11.2015 was being dealt partially and the views of his party were not being considered.

   The Chair stated that no notice had been received from Sh. Vijender Gupta on the aforesaid matter. He asked the Leader of Opposition to submit his complaint in writing.

   The Chair further stated that the Ethics Committee would investigate

every aspect of the incident meticulously.

Hon'ble Speaker also asked Ms. Alka Lamba to handover the clipping of the said news item to the Committee.

4. 2.19 P.M. Sh. Vijender Gupta was not satisfied with the statement of the Chair. He started arguing with the Chair.

Uproar in the House.

The Chair asked Sh. Vijender Gupta to leave the House till 04.00 P.M. due to his indecorous behavior.

Since Shri Vijender Gupta did not withdraw from the House voluntarily, the Chair directed that he be evicted from the House. Accordingly, Marshals of the House escorted Shri Vijender Gupta out.

Shri Jagdish Pradhan, Member of BJP also went out of the House.

5. 2.25 P.M. The Chair stated that it was his top priority to conduct the proceedings of the House smoothly but the Leader of Opposition was reluctant to hear the plight of women members and was only interested to waste the floor time despite the fact that the status of Leader of opposition was next to the Leader of the House.

6. 2.28 P.M. **Special Mention(Rule-280):-** The following Members raised matters under Rule-280 with the permission of the Chair:-

1. Sh. Naresh Balyan
2. Sh. Rajender Pal Gautam
3. Sh. Vishesh Ravi
4. Ms. Bhavna Gaur
5. Smt. Pramila Tokas
6. Sh. Som Dutt
7. Sh. Raju Dhingan
8. Sh. Shridutt Sharma
9. Sh. Naresh Yadav
10. Sh. Mahender Goel

7. 2.50 P.M. **The Chair adjourned the House upto 3.30 P.M.**

8. 3.32 P.M. **House reassembled.**

Hon'ble Speaker in- Chair.

9. 3.33 P.M. Hon'ble Speaker and Shri Manish Sisodia, Dy. Chief Minister requested Shri Vijender Gupta, Leader of Opposition and Sh. Jagdish Pradhan, Member of BJP to participate in the proceedings. However the two Members did not turn up.

10. 3.35 P.M. **Introduction of Bill :**

Shri Manish Sisodia, Hon'ble Dy. Chief Minister introduced the **"THE DELHI JANLOKPAL BILL, 2015" (Bill No.16 of 2015)** with the leave of the House and made a brief statement.

There was thunderous applause and slogans in favour of "The Delhi Janlokpal Bill" in the House.

11. 3.55 P.M. **<u>Consideration of Bills:</u>**

1. Sh. Manish Sisodia, Hon'ble Dy. Chief Minister moved that **"Delhi School (Verification of Accounts and Refund of Excess Fee) Bill, 2015" (Bill No.09 of 2015)** introduced on 20 November, 2015 be taken into consideration.

The Motion was put to vote and adopted by voice-vote.

2. Sh. Manish Sisodia, Hon'ble Dy. Chief Minister moved **"Delhi School Education (Amendment) Bill, 2015" (Bill No.10 of 2015)** introduced on 20 November, 2015 be taken into consideration.

The Motion was put to vote and adopted by voice-vote.

3. Sh. Manish Sisodia, Hon'ble Dy. Chief Minister moved **"The Right of Children to Free and Compulsory Education (Delhi Amendment) Bill, 2015" (Bill No.15 of 2015)** introduced on 27 November, 2015 be taken into consideration.

The Motion was put to vote and adopted by voice-vote.

12. 4.00 P.M. <u>**Discussion** on the aforesaid Bills introduced by **Sh. Manish Sisodia, Dy. Chief Minister :**</u>

The following members participated in the debate:

1. Sh. Rajender Pal Gautam
2. Sh. Praveen Kumar
3. Sh. Nitin Tyagi

13. 4.34 P.M. **Smt. Bandana Kumari, Hon'ble Dy. Speaker in-Chair.**

14. 4.35 P.M. **<u>Discussion continued…</u>**

4. Sh. Somnath Bharti
5. Sh. Satyendar Jain, Minister of Health
6. Sh. Saurabh Bhardwaj
7. Sh. Rajesh Rishi
8. Sh. Ajay Dutt
9. Sh. Rajesh Gupta

15. 5.33 P.M. **Hon'ble Speaker in-Chair**

16. **<u>Discussion continued…</u>**

10. Ms. Rakhi Birla
11. Sh. Raghuvinder Shokeen
12. Sh. Gulab Singh

17. 6.01 P.M. **The Chair adjourned the House upto 2.00 PM on Tuesday, 01 December 2015.**

Delhi **Prasanna Kumar Suryadevara**

30 November, 2015 **Secretary**

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

समाचार भाग–1

कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

सोमवार, 30 नवम्बर, 2015/मार्गशीर्ष 09, 1937(शक)

संख्या–21

2.01 बजे **श्री रामनिवास गोयल, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए।**

1 2.02 बजे **श्री विजेन्द्र गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष** ने उनके द्वारा नियम-54 के अंतर्गत दी गई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना के संबंध में जानना चाहा।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि श्री विजेन्द्र गुप्ता से दिल्ली के निजी शिक्षण संस्थानों में नर्सरी कक्षा में प्रवेश के दिशा-निर्देश जारी न होने के संबंध में ध्यानाकर्षण की सूचना प्राप्त हुई है।

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि सदन में शिक्षा विभाग से संबंधित तीन विधेयकों पर विचार किया जाना है और उपरोक्त विषय को इन विधेयकों पर चर्चा के दौरान उठाया जा सकता है तथा इसके अतिरिक्त इस तरह के विषयों के लिए नियम-280 का प्रावधान भी है।

अध्यक्ष महोदय ने सूचना को अस्वीकार कर दिया।

2. 2.04 बजे सुश्री अलका लाम्बा, सत्ता पक्ष की सदस्य ने अपने मोबाइल पर एक समाचार दिखाया जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री ओम प्रकाश शर्मा ने कथित रूप से उनके विरूद्ध अभद्र टिप्पणी की है।

उन्होंने आचरण समिति की बैठकों को प्रतिदिन आयोजित करवाने तथा यथाशीघ्र समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की मांग की ।

वे सुश्री प्रोमिला टोकस तथा सुश्री सरिता सिंह के साथ सदन के वैल में आ गईं।

सुश्री बंदना कुमारी, माननीय उपाध्यक्ष ने भी सुश्री अलका लाम्बा के वक्तव्य का समर्थन किया।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उक्त विषय गम्भीर प्रकृति का है तथा उन्होंने सदन को सूचित किया कि आचरण समिति की प्रथम बैठक दिनांक 27 नवम्बर, 2015 को आयोजित हो चुकी है तथा आगामी बैठक आज शाम को होनी प्रस्तावित है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता तथा श्री जगदीश प्रधान अपने स्थान पर खडे हो गये तथा उन्होंने सुश्री अलका लाम्बा के आरोपों का विरोध किया।

श्री विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि सुश्री अलका लाम्बा के आरोप आधारहीन हैं तथा वे सदन को गुमराह कर रही हैं।

सुश्री अलका लाम्बा, श्रीमती प्रोमिला टोकस एवं सुश्री सरिता सिंह अध्यक्ष महोदय के आसन के समीप आ गईं और अध्यक्ष महोदय तथा नेता प्रतिपक्ष के साथ तर्क-वितर्क करने लगीं।

(2)

3. 2.13 बजे — श्री विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि दिनांक 24 नवम्बर, 2015 की घटना पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है तथा इस संबंध में उनकी पार्टी के पक्ष पर विचार नहीं किया जा रहा।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उपरोक्त विषय पर श्री विजेन्द्र गुप्ता से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से लिखित में शिकायत प्रस्तुत करने के लिए कहा। अध्यक्ष महोदय ने यह भी कहा कि आचरण समिति घटना के प्रत्येक पक्ष की गहनतापूर्वक जांच करेगी।

अध्यक्ष महोदय ने सुश्री अलका लाम्बा से उक्त समाचार की क्लिपिंग समिति को सौंपने के लिए कहा।

4. 2.19 बजे — नेता प्रतिपक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता अध्यक्ष महोदय के वक्तव्य से संतुष्ट नहीं हुए । उन्होंने अध्यक्ष महोदय से तर्क-वितर्क करना शुरू कर दिया।

सदन में शोर-शराबा।

अध्यक्ष महोदय ने श्री विजेन्द्र गुप्ता को उनके अमर्यादित आचरण के लिए अपराह्न 4.00 बजे तक सदन से बाहर चले जाने को कहा।

चूंकि श्री विजेन्द्र गुप्ता अपने आप सदन से बाहर नहीं गये, अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि उनको सदन से बाहर भेजा जाये। तदनुसार, सदन के मार्शलों ने श्री विजेन्द्र गुप्ता को सदन से बाहर भेजा।

भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री जगदीश प्रधान भी सदन से बाहर चले गये।

5. 2.25 बजे — अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है परंतु नेता प्रतिपक्ष महिला सदस्यों की पीड़ा को सुनने के प्रति अनिच्छुक हैं तथा केवल सदन का समय बरबाद करने में रूचि लेते हैं जबकि नेता प्रतिपक्ष का ओहदा सदन के नेता के बाद दूसरे स्थान पर होता है।

6. 2.28 बजे — **<u>विशेष उल्लेख (नियम-280) :</u>**

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम-280 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के मामले उठाए गए:-

1. श्री नरेश बाल्यान
2. श्री राजेन्द्रपाल गौतम
3. श्री विशेष रवि
4. सुश्री भावना गौड़
5. श्रीमती प्रोमिला टोकस
6. श्री सोम दत्त
7. श्री राजू धिंगान
8. श्री श्रीदत्त शर्मा
9. श्री नरेश यादव
10. श्री महेन्द्र गोयल

(3)

7. 2.50 बजे **अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही अपराह्न 3.30 बजे तक के लिये स्थगित की।**

8. 3.32 बजे **सदन पुनः समवेत हुआ।**
अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

9. 3.33 बजे **अध्यक्ष महोदय एवं श्री मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री** ने नेता प्रतिपक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता तथा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री जगदीश प्रधान से कार्यवाही में भाग लेने हेतु अनुरोध किया।
तथापि उक्त दोनों सदस्य सदन में नहीं आए।

10. 3.35 बजे **विधेयक का पुरःस्थापन :**
श्री मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री ने सदन की अनुमति से **"दिल्ली जनलोकपाल विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 16)"** को सदन में पुरःस्थापित किया तथा संक्षिप्त वक्तव्य दिया।
सदन में दिल्ली जनलोकपाल विधेयक के समर्थन में अत्यधिक करतल ध्वनि हुई तथा नारे लगाये गये।

11. 3.55 बजे **विधेयकों पर विचार :**
1. श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि दिनांक 20 नवम्बर, 2015 को सदन में पुरःस्थापित **"दिल्ली विद्यालय (लेखों की जांच और अधिक फीस की वापसी) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 09)"** पर विचार किया जाए।
प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।

2. श्री मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि दिनांक 20 नवम्बर, 2015 को सदन में पुरःस्थापित **"दिल्ली विद्यालय शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015(वर्ष 2015 का विधेयक सं. 10)"** पर विचार किया जाए।
प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।

3. श्री मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि दिनांक 27 नवम्बर, 2015 को सदन में पुरःस्थापित **"निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2015(वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 15)"** पर विचार किया जाए।
प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।

12. 4.00 बजे **श्री मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री** द्वारा पुरःस्थापित उपरोक्त विधेयकों पर चर्चा हुई।
निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :
1. श्री राजेन्द्रपाल गौतम
2. श्री प्रवीण कुमार
3. श्री नितिन त्यागी

(4)

13.	4.34 बजे	**श्रीमती बंदना कुमारी, माननीय उपाध्यक्ष पीठासीन हुईं।**
14.	4.35 बजे	**चर्चा जारी :** 4. श्री सोमनाथ भारती 5. श्री सत्येन्द्र जैन, स्वास्थ्य मंत्री 6. श्री सौरभ भारद्वाज 7. श्री राजेश ऋषि 8. श्री अजय दत्त 9. श्री राजेश गुप्ता
15.	5.33 बजे	**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।**
16.		**चर्चा जारी :** 10. सुश्री राखी बिडला 11. श्री रघुविंदर शौकीन 12. श्री गुलाब सिंह
17.	6.01 बजे	**अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही मंगलवार, 01 दिसम्बर, 2015 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की।**

दिल्ली
30 नवम्बर, 2015

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा
सचिव